भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 438

जिसका उत्तर 08.12.2022 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर हेतु नीति

438. डॉ.डी.एन.वी.सेंथिलकुमार एस. :

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर पथ कर की वसूली के संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या अन्य राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा की तुलना में तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा के लिए सड़क यात्रियों को प्रति किलोमीटर अधिक पथ कर राशि का भुगतान करना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को तमिलनाडु से पथ कर की बढ़ी हुई दर को वापस लेने और दस वर्ष से अधिक पुराने टोल गेटों पर पथ कर की वसूली रोकने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार ने 5 दिसंबर, 2008 को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रहण का निर्धारण) नियम, 2008 को अधिसूचित किया है और उक्त नियम, समय-समय पर संशोधित, 5 दिसंबर, 2008 को या उसके बाद निष्पादित सभी सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाओं और निजी वित्त पोषित परियोजनाओं और आमंत्रित बोलियों के लिए उपयोगकर्ता शुल्क के निर्धारण के लिए लागू हैं। 5 दिसंबर, 2008 से पहले पूरी की गई निजी वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए, शुल्क संग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्गों पर राष्ट्रीय राजमार्ग /स्थायी पुल/ अस्थायी पुल के खंड के उपयोग के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा शुल्क का संग्रहण) नियम, 1997; और राष्ट्रीय राजमार्ग (शुल्क की दर) नियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार है। राष्ट्रीय राजमार्गों के खंड पर उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अलग-अलग अधिसूचनाओं के अनुसार किया जाता है। ऐसे मामलों में जहां राष्ट्रीय राजमार्ग का एक विशेष खंड राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) को सौंपा गया है, संबंधित राज्य सरकार/यूटी के निष्पादन प्राधिकरण, केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना का अनुपालन करते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां। तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले सार्वजनिक वित्त पोषित शुल्क प्लाजाओं को बंद करने के लिए तमिलनाडु सरकार से अनुरोध प्राप्त हुए थे। सभी राज्य सरकार के वाहनों को ड्यूटी पर छूट देने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के तहत तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम की सभी बसों को असीमित यात्राओं की अनुमति देने और राज्य परिवहन उपक्रम को उपयोगकर्ता शुल्क के भुगतान से छूट देने के लिए भी अनुरोध प्राप्त हुए हैं। मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नीति के मद्देनजर, ऐसे सभी अनुरोध भारत सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किए गए थे।

(ड़) प्रश्न नहीं उठता।

*****